हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पीठासीन अधिकारी S.D. मीणा [R.A.S.] उपस्थित अधिवक्ता श्री घनश्याम धाकड़ एडवो. -वादी।	

-: निर्णय :-

संक्षेप में वादीगण के कथन है, कि मौजा ग्राम बन्धा प० ह० उंडवा में पुराना ख० नं० मिन २१९ की (कबा ९।।) भूमि थी जिसके नये ख० नं ३५९ (कबा ०.२५ हेक्टर बनाये गये है।

खसरा नं. २१९ मिन नक्शे में जिस स्थान पर था, उसे नये नक्शे में ख०नं. ३५९ अंकित कर किसी अन्य स्थान पर दर्शा दिया गया है।

अन्य कथन सहित वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि साबिक ख० नं. मिन २१९ जिस स्थान पर नक्शे में दर्ज था, हाल ख० नं० ३५९ को उसी स्थान पर दर्ज किया जाकर नक्शे में उसी अनुसार तामील किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अप्रार्थी नं० २ उक्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य व बेदखल नहीं करे, आदि।

क्रमशः

(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में तारीख
	दावा वादी प्रस्तुत होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति० को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति० नं० 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा जवाब पेश किया। बाद वादीगण को प्रतिवादी नं० 1 (एक) द्वारा आपत्तिकार कर कथन किये कि वादी० के खाते में दर्ज ख० नं० 349 रकबा 0.24 हे० के बजाय वादीगण अपना अनुसार हाल ख० नं० 348 रकबा 0.24 हेक्टेयर को अपने खाते में दर्ज कराना चाहते है परन्तु गाटा ख० नं० 348 में तामील नहीं हो रही है। तामील के अभाव में वादीगण के खाते की भूमि किस स्थान पर दर्ज थी, की जानकारी नहीं होती है। हाल ख० नं० 348 रकबा 0.24 हे० भूमि गैर मुमकिन श्मशान की सरकारी खाते की भूमि है और मौके पर श्मशान के उपयोग में ली जा रही है। अतः सार्वजनिक हित की भूमि को देखते हुए, किसी प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं होगा। जवाब प्राप्त किया गया। वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में नकल खतौनी ग्राम बन्दा प० ह० उरदवा सम्वत 2061-72, खाता नं० 97, आंशिक नकल नक्शा ग्राम बन्दा 2001-02, नकल फर्द मिलान, नकल खतौनी ग्राम बन्दा सं० 2056-55 खाता नं. 62, एवं [illegible] नक्शे की छायाप्रति पेश की क्रमशः-	

में तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गयी। बहस पर विचार किया। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया।	
	हस्ब नकल खतौनी सं. 2056-59 ख. नं. 219 मि. की भूमि वादीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी। जिसकी हस्ब फर्द मिलान हाल ख० नं० 348, 346 व 349 बनाये गये थे।	
	वादीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो, कि साबिक नक्शे व हाल नक्शे में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किया गया है। वादीगण को नक्शा दुरूस्ती का अधिकारी नहीं पाया जाता है।	
	जहाँ तक प्रति० के कथनों का प्रश्न है, कि वादीगण ख० नं० 348 को अपने नाम पर दर्ज कराना चाहते हैं, जो श्मशान है, तो उक्त किस्म की भूमि धारा 16(6) में प्रतिबंधित है, जिस पर खातेदारी स्वत्व प्रोद्भूत नहीं होते हैं। अतः वादीगण की हैसियत उक्त भूमि पर खातेदार आसामी की नहीं होने तथा नक्शा दुरूस्ती का हक नहीं होने से दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो।	
	निर्णय आज दि० 01-3-16 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।	
	[Signature] [stamp]	

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी — मुकाम — रामगंजमण्डी

ब इजलास — एस० डी० मीणा [R.A.S.]

मगनलाल — बनाम — स्टेट ऑफ राज०

दावा बाबत — 136 T.R.Act व 188 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. — 128 — सन् — 2014

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू — एस० डी० मीणा [R.A.S.]

बहाजरी — श्री धनश्याम धाकड़ एड. मिनजानिब मुद्दई व — x

— मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादीगण खारीज़ किया जाता है।

मीजान — x — मुबलिग — x — बाबत — x

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह — x — फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक — x — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख — 01 — माह — 03 — 2016

को जारी की गई।

दस्तखत —

ओहदा —

मुहर

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलाह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	..			स्टाम्प वकालतनामा	..		
स्टाम्प वकालतनामा	..			स्टाम्प अर्जी	..		
स्टाम्प वजह सबूत	..			महनताना वकील पर	..		
महनताना वकील	..			खर्चा गवाहान	..		
खर्चा गवाहान	..			फीस कमिश्नर	..		
फीस कमिश्नर	.			बाबत इजराय हुक्मनामा	..		
बाबत इजराय हुक्मनामा	..			मुतफर्रिक	..		
मुतफर्रिक	..						
मीजान..		x	x	मीजान..		x	x

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा. मु. जो.-40-2004-1,00,000 प्र.

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी